


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्रतिभार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 69] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 6, 1987/माघ 17, 1908
No. 69] NEW DELHI, FRIDAY, FEB. 6, 1987/MAGHA 17, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as
a separate compilation

कामिक, लोक शिकायत तथा पेशान मंत्रालय

(कामिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 6 फरवरी, 1987

अधिपूचना

सा. का. नि. 84(अ).—प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985
(1985 का 13) की धारा 14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 2 मार्च, 1987 को उस तारीख के

1577 GI/86

(1)

रूप में निदिष्ट करती है, जिस तारीख से उक्त अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (3) के उपबन्ध लागू होंगे क्योंकि यह समिति सरकार के स्वामित्वाधीन या सरकार द्वारा नियंत्रित है तथा भारत सरकार कामिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कामिक और प्रशिक्षण विभाग) की दिनांक 2 मई, 1986 की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 730(अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्:—उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम संख्या 6 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित अन्तःस्थापित की जाएगी अर्थात्:—

“केन्द्रीय सामाजिक
कल्याण बोर्ड

सरकार द्वारा नियंत्रित
एक प्राधिकरण”

[ए-11019/97/86-ए.टी.]

श्रीमती पी. वी. बत्सला जी. कुट्टी,
अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND
PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 6th February, 1987

NOTIFICATION

G.S.R. 84(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby specifies the 2nd day of March, 1987 as the date on and from which the provisions of sub-section (3) of section 14 of the said Act shall apply to the Central Social Welfare Board, being an authority owned or controlled by Government, and makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Personnel, Public

Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training)
No. G.S.R. 730(E) dated the 2nd May, 1986, namely:—

In the said notification, in the Schedule after serial number 6 and entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

"7. Central Social Welfare
Board.

An authority controlled
by Government."

[No. A-11019/97/86-AT]

Mrs. P. V. VALSALA G. KUTTY, Under Secy.